न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 83/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास, मैसर्स अग्रवाल उद्योग, चांद बावड़ी, विरजानन्द स्कूल के पीछे, अजमेर।
2. कैलाश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री संतलाल गुप्ता, ए बंसत विहार कॉलोनी, धोला भाटा, अजमेर।
3. मैसर्स अग्रवाल उद्योग, चांद बावड़ी, विरजानन्द स्कूल के पीछे, अजमेर।
4. पदम जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन, मैसर्स मुनीम जी एण्ड संस, ए–1, चांद पोल अनाजमण्डी, जयपुर।

.......*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

<u>–: आदेश :–</u>

दिनांक– 06.06.2018

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड लाल मिर्च पाउडर (मुनीमजी ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.09.2016 को 02.30 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स अग्रवाल उद्योग, चांद बावड़ी, विरजानन्द स्कूल के पीछे, अजमेर पर पहूँचे श्री गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को घी, तेल, मसाले आदि का

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

विक्रय कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान वहां एक 10 किलोग्राम के कट्टे में 500–500 ग्राम के पॉलीथीन के पाउचों में पैक अवस्था में लाल मिर्च पाउडर (मुनीमजी ब्राण्ड) रखा हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान लाल मिर्च पाउडर (मुनीमजी ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 500–500 ग्राम के 4 पैकिट लाल मिर्च पाउडर (मुनीमजी ब्राण्ड) पैक अवस्था में वास्ते नमूना जॉच हेतु 560/– रूपयें गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास को नगद देकर गवाह श्री रमेश चन्द्र सैनी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर (मुनीमजी ब्राण्ड) को चार अलग–2 जार में बराबर–2 मात्रा में डालने के पश्चात एयरटाईट बन्द करने के पश्चात चारों नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–1435 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/12597 दिनांक 09.11.2016 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस./534/एक्ट/2016/584 दिनांक 29.09.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया लाल मिर्च पाउडर (मुनीमजी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 13.09.2017 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 13.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 06.06.2018 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 06.06.2018 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। यदि जांच में लाल मिर्च पाउडर (मुनीमजी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पाई गई है, इसमें अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की गलती या बदनियति नहीं है। मुझसे त्रुटि अज्ञानतावश हुई है एवं भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि अप्रार्थी श्री गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया लाल मिर्च पाउडर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला ... (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

(मुनीमजी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास को रुपये 7000/– (अक्षरे रुपये सात हजार मात्र) एवं मालिक श्री पदम जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन को रूपये 15000/– रूपये (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 06.06.2018 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 06.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2018/2150-53 दिनांक : 14.6.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3– श्री गोविन्द चन्चलानी पुत्र श्री नेबनदास, मैसर्स– अग्रवाल उद्योग, चांद बावडी, विरजानन्द स्कूल के पीछे, अजमेर।
4– पदम जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन, मैसर्स मुनीम जी एण्ड संस, ए–1, चांद पोल अनाजमण्डी, अजमेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner